

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14-06-2026

क्रमांक ESTB-102(2)/462/2026-UAD :: राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजेश तिवारी, मूलपद सहायक राजस्व निरीक्षक के विभागीय जांच को जारी रखते हुए तथा उन्हें निलंबन से बहाल कर, प्रशासनिक दृष्टि से समान सेवा शर्तों एवं निबंधनों के अधीन अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक नगर पालिका परिषद् खैरागढ़, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में पदस्थ किया जाता है। इनके विरुद्ध जांच जारी रहेगी तथा निलंबन काल का निराकरण उनके विरुद्ध प्रचलित विभागीय जांच के गुणदोष के आधार पर पृथक से किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ.क्र. ESTB-102(2)/462/2026-UAD नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14-06-2026
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान. उप मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर।
2. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर।
3. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग (छ.ग.)।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् खैरागढ़, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.)।
5. संबंधित अधिकारी
6. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अटल नगर रायपुर की ओर विभाग के वेबसाइट में अपलोड करने बाबत।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. आर्डर बुक ।

हस्ता/-
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग